न्यायालयः—विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 कोरबा, जिला — कोरबा (छ0ग0) (पीठासीन न्यायाधीश— जयदीप गर्ग)	
निर्णय दिनांक 21—04—2025	
विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक	29 / 2022 **सी0एन0आर0 नंबर** CGKB010015162022
प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं पुलिस थाना	255 दिनांक 29.10.2022 थाना अजाक / दीपका, जिला— कोरबा (छ0ग0)
संस्थित दिनांक	19—12—2022
अभियोजन	छ0ग0 राज्य
प्रतिनिधित्वकर्ता	श्री रमेश सिंह यादव विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्त	उदय कुमार चौधरी उर्फ आरडीएक्स पिता रामपति स्थाई पता— ग्राम बारून, थाना बारून, जिला औरंगाबाद बिहार, वर्तमान पता— शांति नगर दीपका (शराब दुकान के पीछे) थाना दीपका जिला कोरबा (छ0ग0)
प्रतिनिधित्वकर्ता	श्री शेखर राम सिंह अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

घटना दिनांक	14—10—2022
प्रथम सूचना पत्र दर्ज दिनांक	14—10—2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	19—12—2022
आरोप पत्र विरचित दिनांक	15—02—2023
साक्ष्य प्रारंभ दिनांक	09—05—2023
निर्णय हेतु प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	17—04—2025
निर्णय दिनांक	21—04—2025

दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धी दिनांक	21–04–2025

–:: Accused Details ::–

अभियुक्त का कमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर मुक्त किये जाने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धी	दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
1–	उदय कुमार चौधरी उर्फ आर0डी0एक्स	15–10–2022	07–12–2022	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506, 323, 353, 186, 332 एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एवं 3(2)(vक) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506, 323, 353, 186, 332 एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एवं 3(2)(vक) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में दोषमुक्ति	निरंक	53 दिन

Index

कमांक	विवरण	पृष्ठ कमांक
1	निर्णय का शीर्षक	1
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
3	आरोप	3
4	स्वीकृत तथ्य	–
5	अभियोजन घटना	3–4
6	परीक्षित साक्षी एवं प्रदर्शित दस्तावेज	5
7	विचारणीय प्रश्न एवं उभय पक्ष की ओर से तर्क	6–7
8	निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार	7–16
9	दण्डादेश	–
10	अभिरक्षा अवधि एवं मुजरा (दण्डादेश में समायोजन)	–
11	संपत्ति का निराकरण	16
12	क्षतिपूर्ति आदेश	–
13	सजा (कारावास या जुर्माना)	–

14	धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र	17
15	निर्णय की प्रति	17

—:: निर्णय ::—

(दिनांक—21—04—2025 को घोषित)

01. **इस प्रकरण में अभियुक्त उदय कुमार चौधरी उर्फ आर0डी0एक्स** के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506, 323, 353, 186, 332 एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एवं 3(2)(vक) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत विरिचत आरोप का विचारण किया जा रहा है।

02. संक्षेप में अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह कंवर आरक्षक कमांक 123 थाना दीपका जिला कोरबा के द्वारा एक लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसका ड्यूटी डॉयल 112 में सुबह 10:00 बजे से अगले दिन दिनांक 15—10—2022 के सुबह 10:00 बजे तक है कि करीब 16.49 बजे इवेंट कमांक केआरबी 14.10.22/38 के कालर सुधीर कुमार चौधरी के द्वारा मारपीट गाली गलौच का इवेंट दिया गया था जिसका मैसेज आने पर डायल 112 के चालक योगेश मरकाम के साथ इवेंट स्थल शांति नगर दारू भट्ठी के पीछे 17:23 बजे गया,

जहॉ सुधीर से मुलाकात कर इवेंट के बारे में पूछने पर बताया कि जमीन सबंधी भाई उदय के साथ विवाद है मॉ को गाली गलौच कर मारपीट कर रहा था जिस कारण डायल 112 में फोन किया था बताने पर अनावेदक उदय चौधरी से इवेंट के मुताबिक पूछताछ करने के दौरान उदय चौधरी उनका वीडियो बनाने लगा और वीडियो बनाने दौरान तू और बे जैसे शब्दों का उपयोग करते हुये दुर्व्यवहार करने लगा मना करने पर वीडियो बंद करके अचानक उग्र होकर उसका कालर पकड़कर उसका नेम प्लेट भूपेन्द्र सिंह कंवर पढ़ते हुये मॉ बहन की गंदी–गंदी गाली देते हुये कहने लगा मादरचोद आदिवासी कंवर तू यहॉ बार–बार गांड मराने आता है तू अभी यहॉ से भाग जा नहीं तो जान से मारकर इसी जमीन में दफना दूंगा कहकर उसकी ड्यूटी के समय ही धमकाने लगा। उदय के द्वारा मुक्का मारते हुये कालर पकड़ने से उसका वर्दी फट गया तथा बटन टूट गया व अंदरूनी सीना चोंट लगा तब चालक एवं वहॉ से गुजर रहे राजू देवांगन एवं संतोष चौहान के द्वारा बीच बचाव किये। आसपास के लोग भी भीड इकट्ठा होकर देख रहे थे। प्रार्थी की उक्त लिखित रिपोर्ट पर थाना दीपका में कायमी करने के उपरांत थाना अजाक कोरबा में एफआईआर दर्ज की गई। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 173 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया।

04. इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध कंडिका 01 में वर्णित आरोप विरचित किये गये, जिसे अभियुक्त द्वारा अस्वीकार करते हुये विचारण की मांग की गई।

05. विवेचना के दौरान अभियोजन द्वारा **07** साक्षियों अर्थात आरक्षक भूपेन्द्र सिंह कंवर अ0सा0–01, अनिल कुमार पटेल अ0सा0–02, योगेश मरकाम अ0सा0–03, सुधीर कुमार चौधरी अ0सा0–04, प्रदीप कुमार येरेवार अ0सा0–05, अमीषा टेकाम अ0सा0–06 एवं राजू देवांगन अ0सा0–07 का परीक्षण करवाया गया है।

06. अभियोजन द्वारा साक्षियों की साक्ष्य में लिखित शिकायत प्र0पी0–01, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0–02, नजरी नक्शा प्र0पी0–03, जप्ती पत्रक प्र0पी0–04, प्र0पी0–05, नोटिस प्र0पी0–06, जाति प्रमाण पत्र प्र0पी0–07, सी0एच0सी0 दीपका को लिखी गई तहरीर प्र0पी0–08, गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0–09, गिरफ्तारी की सूचना प्र0पी0–10 एवं मुलाहिजा रिपोर्ट प्र0पी0–11 प्रस्तुत किए गये हैं।

07. धारा 313 दंड प्रकिया संहिता के तहत अभियुक्त कथन लिए जाने पर उन्होंने स्वयं को निर्दोष होने का कथन करते हुए बचाव में साक्ष्य देना चुना है एवं अभियुक्त द्वारा दिनांक 08–04–2025 को अपना बचाव साक्ष्य समाप्त किया गया।

08. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं विद्वान बचाव अधिवक्ता के प्रकरण के संबंध में विस्तृत मौखिक तर्क श्रवण किये गये एवं अभिलेख में मौजूद शपथपूर्वक साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

09. **<u>प्रकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि :–</u>**

(1) क्या अभियुक्त ने प्रार्थी/आहत भूपेन्द्र सिंह कंवर को लोक स्थान पर मॉ–बहन की गंदी–गंदी गालियॉ उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

(2) क्या अभियुक्त ने प्रार्थी/आहत आरक्षक भूपेन्द्र सिंह कंवर को उसके लोक कृत्यों के निर्वहन के समय स्वेच्छया उसके साथ गाली गलौच, मारपीट कर एवं जान से मारने की धमकी देकर उसके शासकीय कर्तव्यों में बाधा डाला ?

(3) क्या अभियुक्त ने स्वयं अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य न होते हुये प्रार्थी/आहत आरक्षक भूपेन्द्र सिंह कंवर को अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, को अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जानते हुए उसके साथ जातिगत गाली गलौच, मारपीट कर एवं जान से मारने की धमकी देकर अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अपराध किये ?

–: निष्कर्ष के आधार :–

:: **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 पर निष्कर्ष** ::

12. दोनों विचारणीय प्रश्न एक ही घटना से संबंधित हैं, इसलिए साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एवं सुविधा की दृष्टि से इनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

13. **प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह कंवर (अ0सा0–01)** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह जुलाई 2022 से थाना दीपका, जिला कोरबा में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। वह न्यायालय उपस्थित अभियुक्त उदय कुमार उर्फ आरडीएक्स को पहचानता है। घटना आज दिनांक 09–02–2024 से लगभग एक वर्ष पूर्व की है। घटना के समय उसकी ड्यूटी डायल 112 के सुविधा वाले वाहन में थी। डायल 112 के रायपुर स्थित केन्द्र से वाहन के मोबाईल फोन में फोन आया और वाहन में लगे डिसप्ले उपकरण में घटना स्थल का लोकेशन एवं कॉलर का मोबाईल नंबर आया। तब उसने वाहन के शासकीय मोबाईल फोन से कॉलर के मोबाईल नंबर में फोन से संपर्क किया, फोन लगने पर अभियुक्त के भाई, जिसका नाम उसे आज याद नहीं है, ने बताया कि उसका भाई अभियुक्त उसकी माँ से

मारपीट कर रहा है। उस सूचना पर वह और डायल 112 का वाहन चालक योगेश मरकाम घटना स्थल दीपका शराब भट्ठी के पीछे गये। जब वह और वाहन चालक अभियुक्त के भाई से बात कर रहे थे, उस समय अभियुक्त के भाई ने अभियुक्त के साथ जमीन विवाद के संबंध में थाना दीपका का कार्यवाही नहीं करने का फैना दिखा रहा था। तब अभियुक्त उससे बोला कि इस संबंध में मामला न्यायालय में चल रहा है, तो तुम यहां आने वाले कौन होते हो। अभियुक्त ने उसकी वर्दी में लगे नेम प्लेट में उसका नाम देख लिया और उससे मॉ–बहन की गाली–गलौच करने लगा तथा तुम कंवर जाति के हो, तो उसका क्या कर लोगे। यह बोलकर अभियुक्त उसके साथ धक्का–मुक्की करने लगा और उसके वर्दी को फाड़ दिया, जिससे उसकी वर्दी में लगे बटन टूट गये थे। इसके बाद उन लोग थाना दीपका आकर थाना प्रभारी को घटना के बारे में बताये। उसने थाना दीपका में घटना के संबंध में लिखित शिकायत दी थी, जो प्र०पी०–01 है। उसके द्वारा दीपका पुलिस को दी गई लिखित शिकायत के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–02 दर्ज की गई थी। दिनांक 15–10–2022 को दीपका पुलिस के द्वारा उसकी उपस्थिति में घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र०पी०–03 तैयार किया गया था। दीपका पुलिस के द्वारा उसे आई चोटों के संबंध में उसका मेडिकल मुलाहिजा कराया गया था।

दिनांक 15–10–2022 को उसके द्वारा दीपका थाना में एक वर्दी एवं वर्दी में लगे बटन को पेश करने पर जप्ती पत्रक प्र०पी०–04 के माध्यम से जप्त किया गया था। इसके अलावा उससे थाना दीपका और कोई जप्ती नहीं कराई गई थी। पुलिस द्वारा उसे नोटिस प्र०पी०–06 दिया गया परंतु आज उसे याद नही है कि उक्त नोटिस किस संबंध में था। पुलिस द्वारा घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका कथन दर्ज किया गया था।

14. **प्रत्यक्षदर्शी साक्षी वाहन चालक डायल 112 योगेश मरकाम अ0सा0–03** ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह वर्ष 2018 से थाना दीपका, जिला कोरबा में डायल 112 वाहन चालक के पद पर पदस्थ है। वह प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह कंवर को जानता–पहचानता है क्योंकि वह थाना दीपका में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। वह न्यायालय उपस्थित अभियुक्त को जानता–पहचानता है। घटना का दिन व तारीख आज उसे याद नहीं है, परंतु घटना आज से लगभग 01 वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को अभियुक्त के बड़े भाई के द्वारा डायल 112 वाहन में फोन किया गया था, जिसके पश्चात् उन्हें ईवेन्ट मिलने पर वह, प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह कंवर के साथ शांति नगर दीपका शराब भट्‌टी के पीछे गया था। घटना स्थल पर प्रार्थी भूपेन्द्र, अभियुक्त के भाई के साथ बातचीत कर रहा था, तभी अभियुक्त वहां पर आ गया और प्रार्थी भूपेन्द्र के साथ

बातचीत होने लगी और अभियुक्त उदय अपने मोबाईल से वीडियो बनाने लगा। प्रार्थी भूपेन्द्र कंवर अभियुक्त को समझा रहा था। वह वाहन में बैठा हुआ था, इसके अलावा उसे और कोई जानकारी नहीं है। उसकी उपस्थिति में प्रार्थी भूपेन्द्र कंवर के पेश करने पर थाना अजाक पुलिस के द्वारा उसकी वर्दी, वर्दी की टूटी हुई बटन एवं डायल 112 वाहन में आये ईवेन्ट की छायाप्रति जप्ती पत्रक **प्र0पी0–04** के माध्यम से जप्त किये थे। पुलिस द्वारा उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया गया था।

15. **प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सुधीर कुमार चौधरी अ0सा0–04** ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह न्यायालय उपस्थित अभियुक्त उदय कुमार चौधरी को जानता पहचानता है। वह उसका छोटा भाई है। घटना दिनांक 14–10–2022 या 15–10–2022 की सुबह लगभग 11.00–11.30 बजे की है। उसके एवं उसकी माँ के द्वारा घर के अंदर में नाली का निर्माण किया जा रहा था उसी समय उसका छोटा भाई अभियुक्त उदय कुमार चौधरी, उसकी पत्नी नेहादेवी, उसका बड़ा भाई अजय चौधरी एवं उसकी पत्नी गीतादेवी ने उसके एवं उसकी माता के साथ गाली–गलौच एवं मारपीट शुरु कर दी। अभियुक्त के द्वारा उसे एवं उसकी माँ को जान से मारने की धमकी देने लगा तब उसके द्वारा डॉयल 112 पुलिस वाहन को फोन करके घटना की जानकारी दी गई थी। लगभग आधा घंटा बाद

पुलिस आ गई थी । पुलिस द्वारा उसके से पूछताछ की गई थी । उसके बाद वह अपने घर के अंदर चला गया था। उसे बाद में पता चला कि अभियुक्त के द्वारा पुलिस वालो के साथ भी मारपीट की गई थी । पुलिस द्वारा उससे पूछताछ कर उसका कथन लिया गया था ।

16. एक और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी राजू देवांगन अ0सा0–07 द्वारा कथन किया गया है कि घटना के समय वह वहॉ उपस्थित था। वहॉ पर डॉयल 112 वाहन के चालक घटना स्थल पर आये और अभियुक्त उदय चौधरी से पूछताछ कर रहा था। उदय चौधरी द्वारा आरक्षक भूपेन्द्र कंवर का वीडियो बनाने लगा। आरक्षक भूपेन्द्र कंवर द्वारा वीडियो बनाने से मना करने पर मॉ बहन की गाली गलौच करने लगा। अभियुक्त द्वारा आरक्षक की कॉलर पकड़कर गंदी–गंदी गाली दी गई और जमीन में गाड़ देने की धमकी दी गई।

17. मेरे द्वारा घटना स्थल पर उपस्थित सभी साक्षियों के कथनों का परिशीलन किया गया। प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह कंवर द्वारा प्रतिपरीक्षण की कंडिका 14, 15 में स्वीकार किया गया है कि जिस समय वह घटना स्थल पर पहुंचा उस समय अभियुक्त उदय चौधरी अपने घर पर नहीं था और उसने फोन करके बुलाया था। उदय चौधरी के घर में उपस्थित महिला ने उसे कहा था कि उदय चौधरी घर में नहीं है बाद में पूछताछ कर लेना। कंडिका 16 में उसने स्वीकार किया है कि उदय चौधरी अपने मोबाईल से वीडियो

बना रहा था जिसके कारण उसका एवं अभियुक्त का विवाद प्रारंभ हुआ। कंडिका 17 में उसने स्वीकार किया है कि वाहन चालक एवं अभियुक्त उदय के मध्य बीच बचाव के कारण उसकी वर्दी फटी थी एवं उसका बटन टूटा था। कंडिका 18 में उसने स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर वाद–विवाद वाहन चालक एवं अभियुक्त के मध्य हुआ था। कंडिका 20 में उसने स्वीकार किया है कि थाना दीपका में उसके द्वारा जो मामला दर्ज कराया गया है वह अभियुक्त उदय चौधरी द्वारा मोबाईल से वीडियो रिकार्डिंग करने के कारण दर्ज करायी गई है।

18. वाहन चालक योगेश मरकाम अ0सा0–03 ने मुख्य परीक्षण में ही कथन किया है कि घटना के समय वह वाहन में बैठा था एवं उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर पूछे जाने पर उसके द्वारा अभियोजन के सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने आरक्षक भूपेन्द्र कंवर का कालर पकड़कर उसको मॉ बहन की एवं जातिगत आदिवासी गाली दी थी। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 08 में उसने स्वीकार किया है कि प्रार्थी एवं अभियुक्त के मध्य तू–तू मैं–मैं हो रहा था एवं उसको नहीं पता कि कोई बड़ी घ
ाटना हुई थी या नहीं। कंडिका 09 में उसने कथन किया है कि यदि उनके बीच मारपीट होती तो वह अवश्य ही बीच बचाव करने जाता। कंडिका 10 में उसने कथन किया है कि घटना स्थल पर अत्यधिक

भीड़भाड़ थी इसलिये नहीं बता सकता कि प्रार्थी का बटन किस कारण टूट गया। उसके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसको नहीं पता कि प्रार्थी के द्वारा जप्तशुदा वर्दी एवं बटन कहॉ से लाकर दिया गया। जप्ती पत्रक प्र0पी0–04 को उसको पढ़कर नहीं हस्ताक्षर किया था और न ही पुलिस ने उसे पढ़कर सुनाया था।

19. **प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सुधीर कुमार चौधरी अ0सा0–04** द्वारा मुख्य परीक्षण में ही कथन किया गया है कि अभियुक्त उदय चौधरी उसका छोटा भाई है। उसके द्वारा डायल 112 पुलिस वाहन को बुलाया गया था। पुलिस के आने के बाद वह अपने घर के अंदर चला गया था। बाद में उसे पुलिस पता चला कि पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई थी।

20. उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि स्वयं पुलिस के वाहन चालक द्वारा ही आरक्षक के कथन का समर्थन नहीं किया गया है। प्रार्थी का कहना है कि वाद–विवाद वाहन चालक एवं अभियुक्त के मध्य हो रहा था, जबकि वाहन चालक का कथन है उसको घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा वर्दी कहॉ से लाकर दी गई यह भी उसे जानकारी नहीं है। दूसरे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सुधीर कुमार चौधरी अ0सा0–04 द्वारा घटना को नहीं देखना व्यक्त किया गया है। अतः तीसरे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी राजू देवांगन अ0सा0–07 का

कथन विश्वसनीय नहीं है एवं झूठा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि राजू देवांगन स्टाक विटनेस है।

21. इसके अतिरिक्त प्रार्थी के ड्यूटी पर होने के संबंध में प्रार्थी या विवेचक द्वारा ड्यूटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस के कर्मचारी जब भी किसी ड्यूटी पर जाते हैं तो रोजनामचा में आने–जाने का समय एवं उद्देश्य का इंद्राज करते हैं। ऐसी किसी रोजनामचा की सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक–03</u>

22. **प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह कंवर (अ0सा0–01)** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह कंवर जाति का सदस्य है, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आता है। प्रकरण के प्रार्थी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, इस तथ्य को, बचाव पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है। बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण के माध्यम से प्रार्थी को यह सुझाव भी नहीं दिया गया है कि वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। **अतः अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह कंवर (अ0सा0–01) अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।**

23. किसी भी अभियोजन साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसा कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्त अनुसूचित जाति अथवा

अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। अभियोजन द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी इस संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया है कि अभियुक्त पर यह प्रमाणनन का भार था कि वह अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101, 102, 103 के अनुसार किसी भी कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो किसी भी प्रकार का साक्ष्य न दिये जाने पर असफल हो जायेगा। अतः अभियुक्त के ऊपर उसकी जाति के प्रमाणनन का भार नहीं डाला जा सकता है। अभियुक्त द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उसके विरूद्ध कोई उपधारणा नहीं ली जा सकती है। भारत में किसी भी व्यक्ति की जाति की प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। विवेचक, सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अभियुक्त का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते थे। अतः मैं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत नहीं हूँ। **इस प्रकार अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से भिन्न जाति का सदस्य है।**

–:: अंतिम निष्कर्ष ::–

24. अतः मेरे विचार में अभियुक्त उदय कुमार उर्फ आरडीएक्स के विरूद्ध अभियोजन इस प्रकरण के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है इसलिये प्रकरण के सभी आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

25. प्रकरण में संलग्न जाति प्रमाण पत्र प्रदर्शित दस्तावेज होने से प्रकरण में संलग्न रहेंगे व घटना के समय पहने वर्दी व अन्य संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाये। अपील होने पर उक्त संपत्तियों का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

26. प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

मेरे निर्देश पर टंकित।

सही/–
(जयदीप गर्ग)
विशेष न्यायाधीश एस.सी. एवं एस.टी.
(पी.ए.) एक्ट कोरबा (छ0ग0)

दिनांकः 21–04–2025

–:: **<u>अभियुक्त उदय कुमार चौधरी उर्फ आर0डी0एक्स का अभिरक्षा प्रमाण पत्र</u>** ::–
(**<u>अन्तर्गत धारा– 428 दं.प्र.स.</u>**)

1– गिरफ्तारी दिनांक	–:	दिनांक 15–10–2022
2– न्यायिक अभिरक्षा	–:	दिनांक 15–10–2022 से
		दिनांक 07–12–2022 तक
3– पुलिस अभिरक्षा	–:	निरंक
4– जमानत अवधि	–:	दिनांक 07–12–2022 से
		दिनांक 21–04–2025 तक
5– कुल न्यायिक अभिरक्षा अवधि	–:	<u>53 दिन</u>

सही/–
(जयदीप गर्ग)
विशेष न्यायाधीश एस.सी. एवं एस.टी.
(पी.ए.) अधिनियम कोरबा (छ0ग0)

स्थानः– कोरबा
दिनांकः 21–04–2025